न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/11 **निर्णय दिनांकः—24—02—2021**
(जीसीएमएस संख्या 2011/00069)

1. चांदी बेवा इग्याराम
2. मनोहरी बेवा ओमाराम
3. सुखराम
4. पूनाराम — पुत्रगण ओमाराम
5. दुर्गाराम
6. सुरजाराम पुत्र फूसाराम

जाति मेघवाल निवासी कक्कू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. नत्थूराम पुत्र रूपाराम
2. मांगीलाल पुत्र रूपाराम
3. पेमा बेवा रूपाराम

जाति कुम्हार निवासी कक्कू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, नोखा
5. जेठाराम पुत्र ओमाराम — जाति मेघवाल निवासी कक्कू तहसील
6. भीखाराम पुत्र बीरूराम — नोखा जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30—06—2011
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 30–06–2011 जिसके द्वारा अपीलांट्स की कब्जे काश्त की भूमि में से बेदखली के आदेश प्रदान किये गये है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कक्कू के खसरा नम्बर 1616 अपीलांटान् चांदी बेवा इग्याराम को सन् 1970 में बतौर भूमिहीन आवंटित थी तथा तभी से अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवर्ष भूमि काश्त की जा रही है। वादाधीन भूमि पर अपीलांट्स के पक्के मकान आदि बने हुए है तथा अपीलाट् सुरजाराम परिवार सहित उक्त भूमि पर निवास कर रहा है। इस प्रकार अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि काबिज है तथा अपीलांट्स के पक्के मकान विगत् 40 वर्षो से आराजी जैर पर बने हुए है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के चारों और कांटों की बाड़ व लोहे की तारबन्दी की हुई है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट्स का कोई सरोकार नहीं है ना ही वादगत् भी पर रेस्पोडेन्ट्स का कभी कब्जा काश्त ही रहा है। उक्त भूमि बाबत् रेस्पोडेन्ट्स ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करते हुए मिथ्या कथनों के आधार पर एकतरफा तौर पर वाद डिक्री करवाया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् सेटलमेंट विभाग द्वारा पैमाईश के समय वादीगण के कब्जे काश्त के विपरीत नक्शें में गलत तरमीम करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसकी बाबत् अदालत मातहत द्वारा बिना मौके व कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र कागजी एन्ट्री को सही मानते हुए केवल मात्र वादी/रेस्पोडेन्ट्स के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। जबकि प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटा चांदी बेवा इग्याराम को बतौर भूमिहीन आवंटित थी। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स पर विधिवत तामील नहीं करवाई गई, जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि प्रभावित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वाद प्रकिया को नहीं अपनाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वादपत्र पर न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया है। लिहाजा आदेश जैर अपील विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिज खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02—09—2011 को प्राप्त हुई जब अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड़नें को कहा गया। ऐसी स्थिति में जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2010 पेज 505, आरआरसी 1987 पेज 530, आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 668, आरआरटी 200[illegible] पेज 648, आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 374 के न्यायिक दृष्टांत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट्स की वादग्रस्त भूमि पर हैसियत एक अतिक्रमी की है। ऐसी स्थिति में वादीगण/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि से अपीलांट्स को बेदखल करने हेतु एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। उक्त समन जारी होने पर प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने व अदालत मातहत के समक्ष के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादपत्र के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी संवत् 2062—65, नजरी नक्शा एवं साक्ष्य के रूप में उपलब्ध खेत पड़ौसी के शपथ पत्रों को ध्यान में रखते हुए यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी नाजायज कब्जा काश्त कर रखा है, वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि कब्जा दिलाये जाने व प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के बाबत् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम प्रकिया को अपनाते हुए यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है, आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में आगे बताया कि उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार भूमि के आवंटन को लेकर व्यक्त कर रहे है। परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि अ[illegible]ांदी को आवंटित रही हो। अपीलांट वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार [illegible] पक्षकार है। यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर सकते है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार माना गया है तथा साथ ही प्रतिवादीगण को अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 09–09–2011 को प्रस्तुत की गई है, जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है। अपीलांट्स द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया गया है कि दिनांक 02–09–2011 को मौके पर रेस्पोडेन्ट्स अपने साथ कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर आये, परन्तु ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे साबित होता होकि उक्त दिनांक अर्थात दिनांक 02–09–2011 को पुलिसकर्मियों के साथ ले जाकर कब्जा दिलाने जाने के सबंध में हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के कारण वेग होने के कारण अपीलांट्स की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 718, आरबीजे 2011 पेज 387, आरएलडब्ल्यू 1953 पेज 473 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–06–2011 के माध्यम से वादीगण/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 3 को वादग्रस्त भूमि ग्राम कक्कू तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1616 तादादी 4.96 हेक्टर व खसरा नम्बर 2121/1616 तादादी 0.10 हेक्टर कुल तादादी 5.06 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील दिनांक 09–09–2011 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 09–09–2011 को प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियांद बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर खारिज करने की मांग की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ किसी प्रकरण के निस्तारण हेतु गुणावगुण पर पर्याप्त बिन्दु मौजूद हो, वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना युक्ति युक्त व तर्कसंगत होगा। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 374 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Dismissal of appeal on the ground of limitation without looking in merits - Held, before rejecting application u/sec. 5 and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid on merits, ordinarily efforts should be made to decide appeal on merits., उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट्स की अपील मियांद शुमार धोषित की जाती है।

(3) प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का [illegible] है, अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि अ[illegible]टा [illegible]ी बेवा इग्याराम को वर्ष 1970 में बतौर भूमिहीन [illegible] थी तथा [illegible] से उक्त भूमि पर अपीलांट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर प्रतिवर्ष काश्त की जा रही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत जाकर, वाद प्रकिया को अपनाये बिना एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया।

(3) इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर प्रतिवादीगण को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु दिनांक 04–08–2009 को नोटिस जारी किये गये, उक्त नोटिस की पुश्त का अवलोकन किया गया, जिस पर स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है, प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त नोटिस को लेने से इंकार किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगणों के द्वारा नोटिस लेने से इंकार किये जाने के पश्चात् उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा उन्हें सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने से गुरेज करते रहे है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट्स इस बिन्दु के आधार पर किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(4) प्रकरण में अपीलांट्स की अपील का मुख्य आधार यह है कि, वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 1616 अपीलांट्ा चांदी बेवा इग्याराम को वर्ष 1970 में बतौर भूमिहीन आवंटित थी। इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उनके इस कथन को किसी प्रकार का कोई बल प्राप्त होता हो, कि उक्त भूमि चांदी बेवा इग्याराम को आवंटित रही हो। अपीलांट्स केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर सकते है।

(5) प्रकरण में जहां तक वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3/वादीगण के अधिकारों का प्रश्न है, अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:09:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2062–65 जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम कक्कू तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1616 तादादी 4.96 हेक्टर व खसरा नम्बर 2121/1616 तादादी 0.10 हेक्टर कुल तादादी 5.06 हेक्टर भूमि बतौर खेत पड़ौसी के बयानों के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार मानते हुए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(6) प्रकरण में अपीलांट्स वादगत् भूमि पर किस प्रकार हितबद्व पक्षकार है यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वे वादगत् भूमि पर उसके किसी प्रकार के हक व हकूक साबित होते हो। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधि सम्मत तरीके से अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये थे, तथा प्रतिवादीगण के नोटिस लेने से इंकार करने व कालान्तर में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में जब दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है, तथा अपीलांट्स वादाधीन भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 25-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 14:...
Reason: SelfAttested

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर